—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :—15/2018

उनवान

1. मंगलचन्द पुत्र नाथू
2. लाला पुत्र भैरू
3. फतेह पुत्र भैरू समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री नौरतमलल जैन

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— जरियें राज. पैरोकार

2. गांगी पत्नी नाथू पुत्रवधु मोती **(तर्क)**
3. मनोज उर्फ रतन पुत्र रामचन्द्र
4. घण्या पत्नी घीसा
5. दीपक पुत्र घीसा
6. मनभर पत्नी छोटू

———— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 3 से 6 अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 30.10.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद में स्थित आराजी मुतनाज़ा वादीगण के दादा मोती पुत्र धूला की खातेदारी कृषि भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
3258	198—5—0	4340/4725	3—6—0	4764/6537	0.86
		4340/4726	2—0—0	4764/6537	
		4340/4728	0—3—0	4887	0.02 चाह
		4340/4027	8—2—0	4888	1.31
		4340	184—17—0	4765	29.62
		4886		4886	0.30

उक्त आराजी वादीगण के दादा की खातेदारी थी। वादीगण के दादा का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ही है। उक्त आराजी के चाह खसरा नम्बर 4887 पर विधुत कनेक्शन भी वादी [illegible] के नाम से है, तथा पक्की कोटडी भी निर्मित है। चौसाला खसरा नम्बर 3258 व [illegible] वंर्किग खसरा नमबर 4340/4729 के वर्तमान खसरा नम्बर 4764 रकबा 0.89 [illegible] नम्बर 4764 रकबा 0.89 व वंर्किग खसरा नम्बर 4340/4730 के [illegible] 4764 रकबा 0.16 व [illegible] खसरा नम्बर 4340/4731 का वर्तमान खसरा नम्बर 4764 रकबा 0.49 की खातेदारी [illegible] के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:11 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दर्ज है। किन्तु आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से बंदोबस्त विभाग ने क्षेत्राधिकार से परे जाते हुये चरागाह दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण 2 से 6 अनुपस्थित रहे। प्रकरण विचारण के दौरान प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तर्क किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पूर्व व वर्तमान में चरागाह दर्ज है। वादी ने खातेदारी का कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किया है, अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निमन तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है ?

—— वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी मंगलचन्द का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने आरबीजे (23) 2016 पेज 303–312, आरबीजे (29) 2022 पेज 592–599 पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरों को सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

<u>तनकी संख्या 1:–</u>

आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 3258 रकबा 198–5–0 प्रदर्श 1 चौसाला जमांबदी सम्वत् 2015 से 2018 में वादीगण के दादा मोती पुत्र धुला के नाम दर्ज थी। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 में चौसाला खसरा नम्बर 3258 रकबा 20–18–10 वादी के दादा मोती पुत्र धुला के नाम व चौसाला खसरा नमबर 3258 का शेष रकबा 3258 मिन रकबा 198–5–0 चरागाह दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 3 फसली सन् 1363 में चौसाला खसरा नम्बर 3258 रकबा 207–18–0 में से मात्र 22–0–0 भूमि पर ही वादीगण के दादा का कब्जा काश्त दर्ज है। शेष रकबा पडत है। इसी प्रकार प्रदर्श 8 खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2017 से 2023 व प्रदर्श 9 खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2032 से 2035 में चौसाला खसरा नम्बर 3258 का आंशिक रकबा ही वादीगण के दादा के कब्जे काश्त में था। सम्वत् 2017 में 9–0–0, सम्वत् 2018 में 9–0–0, सम्वत् 2019 में लगभग 16–0–0, सम्वत् 2020 में 34–0–0, सम्वत् 2021 में 15–0–0, सम्वत् 2022 में 5–10–0, सम्वत् 2023 में 7–0–0, सम्वत् 2032 में 9–13–0, सम्वत् 2033 में 11–15–10, सम्वत् 2034 में 9–13–0, सम्वत् 2035 में 3–2–10, सम्वत् 12–15–10 पर ही वादीगण/पूर्वज काबिज काश्त दर्ज थे। उक्त प्रदर्श 8 व 9 खसरा परिवर्तनशील है, जिसके अनुसार वादीगण के दादा उक्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज थे। खसरा परिवर्तनशील में भी उक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 3258 चरागाह के रूप में दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 में दर्ज अंकन में वादीगण के दादा अथवा वादीगण का चौसाला खसरा नम्बर 3258 के पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण चौसाला जमांबदी सम्वत् 2019 से 2022 में 198–5–0 चरागाह व 20–18–10 पर कब्जा काश्त होने से खातेदारी दर्ज की गयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ है किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अजमेर जिले में उक्त अधिनियम 01.06.1958 अर्थात सम्वत् 2015 को लागू हुआ है। प्रदर्श 16 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2038 में चौसाला खसरा नम्बर में वादीगण के दादा का चौसाला खसरा नम्बर 3258 के अधिकतम 9–0–0 रकबा पर ही कब्जा काश्त अंकित है। अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू दिनांक को वादीगण के दादा आराजी मुतनाजा के समपूर्ण रकबे पर काबिज काश्त नही थे। वंर्किग जमाबंदी में भी उकत आराजी चरागाह दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में भी चौसाला व वर्किग जमाबंदी के अनुरूप आराजी मुतनाजा चरागाह दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 3258 का समपूर्ण रकबा वादीगण/पूर्वज के काब्जे काश्त में नही था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अजमेर जिले में लागू दिनांक को वादीगण के दादा सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त नही होने के कारण ही मात्र कब्जे काश्त की आराजी पर वादीगण के दादा को खातेदरी प्रदान की गयी तथा शेष रकबा कब्जे काश्त के अभाव में सिवायचक चरागाह खाते में अंकित की गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में आराजी मुतनाजा चरागाह/सिवायचक दर्ज है। वादीगण ने अपने वाद में दिनांक 04.01.2018 को वाद कारण उत्पन्न होना बताया है, तथा अंकित किया है कि पटवारी हल्का ने वादीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने की धमकी दी गयी। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील के अनुसार सम्वत् 2015 से ही उक्त आराजी पर वादीगण/पूर्वज आंशिक रकबे पर यदा–कदा अतिक्रमी की हैसियत से काबिज थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 17 धारा 91 नोटिस सम्वत् 2075 में वादीगण 1.60 रकबे पर प्रदर्श 18 धारा 91 नोटिस सम्वत् 2075 में 4.85 रकबे पर अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज हैं वर्तमान में भी सम्पूर्ण आराजी पर कब्जे काश्त के समर्थन में वादीगण द्वारा कोई राजस्व अभिलेख पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा अंतिम चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में चरागाह दर्ज है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा लगभग 65 वर्ष से चरागाह अंकित है। बंदोबस्त विभाग द्वारा भूमि को गैर कानूनी तरीके से चरागाह दर्ज करना सिद्व नही होता है। चरागाह भूमि ग्राम के पशुओ की चराई के लिये रखी गयी भूमि होती है। तथा चरागाह भूमि पर वादीगण गैर कानूनी रूप से काबिज है। वाद पत्र में अंकित चाह भी चरागाह भूमि में ही स्थित है। चरागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने, आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होने व वादीगण का लगातार कब्जा काश्त नही होने के कारण वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा नही होती है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगलचन्द बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 91, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 15/2018
पेश करने की दिनांक – 18.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:05:11 IST
Reason: SelfAttested